



राजस्थान सरकार

कोरोना
अतिआवश्यक

कार्यालय जिला कलक्टर, एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जोधपुर

क्रमांक : आपदा प्रबंधन/2020/17061

दिनांक 05/12/2020

-: आदेश :-

राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4, आपदा प्रबंधन अधिनियम-5 की धारा 30 व 34 व गृह विभाग राजस्थान के आदेश दिनांक 29.11.2020 के अनुक्रम मे "मिशन जीवन रक्षा : मेरा जीवन मेरी रक्षा" के अन्तर्गत कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जोधपुर शहर मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चिन्हित अधिक संक्रमित वार्डों/क्षेत्रों का प्राथमिकतावार इंसिडेंट कमाण्डर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित सर्वे दलों से प्रत्येक घर का सर्वे करवाया जाकर 60 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्ति/गर्भवती महिलाओं/क्रॉनिक डिजीज (पुरानी बीमारी) व ILI लक्षणों वाले व्यक्तियों का सर्वे किया जाने हेतु आदेशित किया जाता है:-

- उक्त आदेश की पालना में संबंधित समस्त अधिकारी/कार्मिक दिनांक 07.12.2020 को प्रातः 11:00 बजे सूची में उनके नाम के समक्ष अंकित रिपोर्टिंग स्थल पर अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे। रिपोर्टिंग के प्रथम दिन के अतिरिक्त प्रतिदिन सर्वे प्रातः 09:00 बजे प्रारम्भ किया जाएगा।
 - प्रभारी चिकित्सक इन कार्मिकों को सर्वे के विषय में ब्रीफिंग देंगे।
1. क्रॉनिक डिजीज (पुरानी बीमारी)- हाइपरटेंशन, हृदय संबंधी रोग, डायबिटीज, फेफड़ो या सांस से संबंधित समस्या यथा अस्थमा, दमा, टी.बी जैसे रोग, किडनी संबंधी समस्या आदि वाले लोगो की सूची
 2. ILI लक्षणों- खांसी, जुखाम, बुखार, सूखी खांसी व कफ आदि वाले लोगो की सूची
- इस संदर्भ में जारी पूर्व के समस्त आदेशों को संकलित करते हुये विस्तृत व स्पष्ट आदेश निम्नानुसार है:-
- नगर-निगम क्षेत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अधिक संक्रमित वार्डों/क्षेत्रों को चिन्हित कर सर्वे हेतु चिन्हित वार्डों की सूची इंसिडेंट कमाण्डर, चिकित्सा प्रभारी व नगर निगम को उपलब्ध करवाएंगे।
 - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित जोन अनुसार ही इनका पर्यवेक्षण व सूचना संग्रहण किया जाएगा।
 - जोन चिकित्सा प्रभारी अपने साथ मे अपने खण्ड की ए.एन.एम, आशा सहयोगिनी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सर्वेदल मे नियुक्त करेगे।
 - यथासंभव प्रत्येक दल द्वारा प्रतिदिन 125 घरों का सर्वे किया जायेगा।
 - सर्वे कार्य नीचे लिखे अनुसार क्रम से होगा -

सर्वे फलोचार्ट

1. सर्वप्रथम सर्वे दल संबंधित क्षेत्र के प्रत्येक घर मे जाकर परिवार के मुखिया का नाम व मोबाइल नंबर प्रपत्र मे अंकित करेगा।
 2. तत्पश्चात् सर्वे किये जानेवाले घर के अन्य सदस्य के बारे में प्रपत्रानुसार जानकारी एकत्र करेगा तथा यह निर्धारित प्रपत्र मे सूचना तैयार कर जिला कलक्टर कार्यालय व सीएमएचओ कार्यालय मे प्रस्तुत करेगा जिसके अंतर्गत -
- सर्वे किये जाने वाले घर में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सदस्यों की जानकारी प्रपत्र 2 के भाग क में इन्द्राज करना। यदि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले को क्रॉनिक डिजीज (हाइपरटेंशन, हृदय संबंधी रोग, डायबिटीज,


आयु वाले को क्रॉनिक डिजीज (हाइपरटेंशन, हृदय संबंधी रोग, डायबिटीज, फेफड़ो या सांस से संबंधित समस्या यथा अस्थमा, दमा, टी.बी जैसे रोग, किडनी संबंधी समस्या आदि) है तो डिजीज का नाम अंकित करेगे तथा नही होने की स्थिति में 'नही' शब्द का अंकन करेगे। संबंधित सदस्य के मोबाइल नंबर नही होने पर परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर अंकित करेगे।

- यदि 60 वर्ष से कम आयु वाले सदस्य को क्रॉनिक डिजीज है तो उस सदस्य की जानकारी प्रपत्र-2 के भाग क में अंकित करते हुए डिजीज का नाम अंकित करेगे। यदि कोई डिजीज नही है तो सदस्य का नाम लिखने की आवश्यकता नही है। संबंधित सदस्य के मोबाइल नंबर नही होने पर परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर अंकित करेगे।
- सर्वे किये जाने वाले घर में गर्भवती महिला सदस्य की जानकारी प्रपत्र-2 के भाग-क में अंकित करते हुए यदि महिला को क्रॉनिक डिजीज है तो उसका भी अंकन करेगे। नही होने की स्थिति में 'नही' शब्द का अंकन करेगे। संबंधित सदस्य के मोबाइल नंबर नही होने पर परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर अंकित करेगे।
- सर्वे किये जाने वाले घर के सदस्यो में वर्तमान में आई.एल.आई. लक्षणों- खांसी, जुखाम, बुखार, सूखी खांसी व कफ आदि पाये जाने वाले सदस्यो की जानकारी प्रपत्र-2 के भाग ख में अंकित करेगे। संबंधित सदस्य के मोबाइल नंबर नही होने पर परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर अंकित करेगे।
- सर्वे दल यदि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के क्रॉनिक डिजीज वाले सदस्य/60 वर्ष से कम आयु के क्रॉनिक डिजीज वाले सदस्य/गर्भवती सदस्य जिनको वर्तमान आई.एल.आई लक्षण पाये गये है ऐसे सदस्यो की सूचना तत्काल संबंधित प्रभारी अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को देगे, इस हेतु सर्वे पूर्ण करने की प्रतीक्षा नही करेगे।
- सर्वे दलो के प्रभारी अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्र में कार्यरत दलो से प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र-3क में रिपोर्ट लेगे तथा यह रिपोर्ट जोन प्रभारी व जोन चिकित्सा प्रभारी को प्रस्तुत करेगे।
- जोन प्रभारी व जोन चिकित्सा प्रभारी अपने क्षेत्र की सभी रिपोर्ट संकलित कर प्रपत्र-5 में सीएमएचओ कार्यालय में भिजवायेगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस कार्य हेतु इस कार्य हेतु अपने अधीनस्थ एक अधिकारी को नियुक्त करेगे जिनका दायित्व होगा कि वे संकलित सूचना सायं 06:00 बजे तक आवश्यक रूप से जिला कलक्टर कार्यालय को प्रेषित करेगे।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उक्त सूचना के आधार पर सेम्पल लिये जाने योग्य व्यक्तियो की सूची व वरीयता क्रम 'प्रपत्र-3ख' में तैयार करेगे। सीएमएचओ उनके सेम्पलिंग की व्यवस्था करेगे।
- सेम्पल लेने के लिए सामान्य प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार रहेगा -
 1. 60 वर्ष से अधिक आयु के क्रॉनिक डिजीज वाले व्यक्ति/गर्भवती महिला जिनको I। लक्षण हो।
 2. 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति अथवा क्रॉनिक डिजीज वाले व्यक्ति (कोई भी आयु) जिनको II। लक्षण हो।
 3. 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति अथवा क्रॉनिक डिजीज वाले व्यक्ति अथवा गर्भवती महिला जिनको 15 दिन से III। लक्षण हो।
 4. 60 वर्ष से अधिक आयु के क्रॉनिक डिजीज वाले व्यक्ति।

5. क्रॉनिक डिजीज वाले व्यक्ति अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
यद्यपि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आवश्यक समझने पर इस क्रम के अतिरिक्त भी किसी व्यक्ति का वरीयता से सैंपल ले सकते हैं।

- यह सर्वे दल क्रॉनिक डिजीज (पुरानी बीमारी) वाले लोगो पर निरन्तर पर्यवेक्षण रखेगा व प्रतिदिन के अंतराल पर इनके स्वास्थ्य के विषय मे निर्धारित प्रपत्र-4 के अनुसार जानकारी प्राप्त करेगा। यदि ऐसे व्यक्ति मे कोई आई.एल.आई लक्षण विकसित होते हैं तो इस विषय मे तत्काल अपने प्रभारी अधिकारी/चिकित्सक को सूचित करेगे। जो यह सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेगे।
- उक्त प्राथमिकता के अनुसार सेम्पल लिये जाने वाले व्यक्तियों की सूची संबंधित चिकित्सा प्रभारी द्वारा कमानुसार बनायी जायेगी एवं रिपोर्ट तैयार कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी (ई मेल आई.डी - cmho-jod-rj@nic.in) जोधपुर पर प्रेषित करेगे। संबंधित दल प्रभारी अधिकारी इस हेतु प्रभावी मोनीटरिंग करेगे तथा उपरोक्तानुसार चिन्हित व्यक्तियों की सूची दिनांक 10.12.2020 तक ई मेल आई.डी.(coronacontrolroomjodhpur@gmail.com) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेगे। साथ ही प्रतिदिन किये गये सर्वे की रिपोर्ट प्रपत्र-5 मे उक्त ई मेल आईडी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी जोधपुर को प्रेषित करेगे।
- डॉ.भगवानदास आईदासानी सभी जोन से निर्धारित प्रपत्र-5 में सूचना संकलित कर सायं 6.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगे।
- प्रभारी अधिकारी व प्रभारी चिकित्सक अपने क्षेत्र के दलो को बांटकर उनका पर्यवेक्षण करेंगे व उनसे ऐसे 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले क्रॉनिक डिजीज वाले/गर्भवती महिला जिन्हे 15 दिवस मे आई.एल.आई लक्षण आये हो या वर्तमान में ऐसे लक्षण हो उनकी सूचना तत्काल कन्ट्रोल रूम 0291-2511085 पर देगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी जोधपुर यह सुनिश्चित करेगे कि ऐसे लोगो को तत्काल सेम्पलिंग की व्यवस्था हो।
 - उक्त दल को स्टेशनरी आदि की व्यवस्था आयुक्त नगर निगम जोधपुर करेगे।
 - मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी जोधपुर सर्वे हेतु जोनवार वार्ड चिन्हित करेगे वार्डस को जोन मे बांटेगे एवं गठित दलो के मास्क व सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।
 - मुख्य चिकित्सा एवं स्वा.अधिकारी सेम्पलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।
 - डोर-टू-डोर सर्वे व सेम्पलिंग में वार्ड निगरानी समितियों का पूर्ण सहयोग लिया जायेगा।

उक्त कार्य के प्रभारी अधिकारी आयुक्त नगर निगम जोधपुर रहेगे।
संलग्न- प्रपत्र।


(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक : आपदा प्रबंधन/2020/17062-17162

दिनांक 05/12/2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् संभागीय आयुक्त/पुलिस आयुक्त/महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जोधपुर
2. जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण/आसूचना/पुलिस उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय, जोधपुर
3. आयुक्त/समस्त उपायुक्त नगर निगम जोधपुर (उत्तर/दक्षिण)/जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
4. अपर जिला कलक्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अपर जिला मजिस्ट्रेट, शहर-प्रथम, जोधपुर/जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर/ प्रोटोकॉल अधिकारी, जोधपुर/जिला रसद अधिकारी, शहर, जोधपुर।
5. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रकरण पदाधिकारी, जिला जोधपुर।
6. समस्त इन्सीडेन्ट कमाण्डर/उपखण्ड अधिकारी/समस्त तहसीलदार/समस्त विकास अधिकारी/समस्त थानाधिकारी जिला जोधपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/प्राचार्य डॉ.एस.एन.मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
8. प्रभारी अधिकारी चिकित्सा सुविधा सेल/स्क्रीनिंग सेल/सर्विलांस सेल/हाइजीन सेल/कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग सेल/सामाजिक अलगाव सेल/आवश्यक वस्तु आपूर्ति सेल/सतर्कता सेल/प्रशिक्षण सेल/कन्ट्रोल रूम एवं सूचना संग्रहण सेल/लॉजिस्टिक एवं प्रोक्योरमेंट सेल/क्वारंटाईन सेल/यातायात सेल/कार्मिक सेल/समन्वयक सेल।
9. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला जोधपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक/उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जोधपुर।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक, जोधपुर
12. निजी सहायक, गोपनीय शाखा, जिला कलक्टर/अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर, रक्षित पत्रावली।

सचिव,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एवं अति.जिला कलक्टर
जोधपुर

प्रगति	दलों की संख्या	सर्वे किये गये परिवार	सर्वे किये गये व्यक्ति	कुल व्यक्ति						कुल सैपल के लिए चिन्हित	कुल सैपल लिए गए		
				60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति		क्रॉनिक डिजीज वाले व्यक्ति		गर्भवती महिलाएं				अन्य ILI लक्षण वाले व्यक्ति	
				ILI लक्षण है	ILI लक्षण नहीं है	ILI लक्षण है	ILI लक्षण नहीं है	ILI लक्षण है	ILI लक्षण नहीं है				
कुल													
तक													
आज													
कुल													

427